आदेश

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड़ देहरादून के पत्र संख्या–8 बी/यू0सी0पी0/06 /169/2019 ए0एफ0सी0/2034, दिनांक 28.12.2020 द्वारा प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के कम में, उप जिलाधिकारी, लोहाघाट की संस्तुति दिनॉक 14 जुलाई. 2021 के अनुसार जनपद चम्पावत अन्तर्गत नरसिंहडाडा–भगीना भण्डारी मार्ग के निर्माण में पड़ने वाली 3.420 हे0 वन भूमि के बदले 6.840 सिविल भूमि, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण हेतु निम्नवत भूमि प्रस्तावित की गयी हैः–

1– क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम–सुल्ला तहसील लोहाघाट के खाता संख्या–72 श्रेणी–9(3)ड़0 बंजर काबिल आबाद के खेत/खसरा नं0– 2996 रकवा 8.636 हे0 मध्ये 6.840 हे0 भूमि प्रस्तावित की गयी है।

2– प्रस्तावित भूमि में कोई धार्मिक, पौराणिक, शमशानघाट, मन्दिर/मस्जिद नहीं है।

3– प्रस्तावित भूमि किसी सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

4– प्रस्तावित भूमि किसी सार्वजनिक/सरकारी अथवा गैरसरकारी भवन नहीं है। उपयोग की नहीं है।

5– प्रस्तावित सिविल भूमि के पूरब में नाप भूमि, पश्चिम में रौली एवं सरहद कुनाड़ी, उत्तर में सिविल भूमि तथा दक्षिण में सिविल भूमि है।

6– प्रस्तावित भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तान्तरित किये जाने में ग्राम वासियों की कोई आपत्ति नहीं है। निरापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

7– प्रस्तावित भूमि का वन विभाग एवं याचक विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया है, संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है।

अतः भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड़ देहरादून के पत्र संख्या–8 बी/यू0सी0पी0/06 /169/2019 ए0एफ0सी0/2034, दिनांक 28. 12.2021 द्वारा प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के कम में, उप जिलाधिकारी, लोहाघाट की संस्तुति दिनॉक 14 जुलाई. 2021 के कम में, शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012–18(120)/2010, दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जनपद चम्पावत अन्तर्गत नरसिंहडाडा–भगीना भण्डारी मार्ग के निर्माण में पड़ने पड़ने वाली 3.420 हे0 वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित, ग्राम–सुल्ला तहसील लोहाघाट के खाता संख्या–72 श्रेणी–9(3)ड़0 बंजर काबिल आबाद के खेत/खसरा नं0– 2996 रकवा 6.636 हे0 मध्ये 6.840 हे0 सिविल भूमि को, वन विभाग के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उप उपजिलाधिकारी, लोहाघाट स्वीकृत भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम भू–अभिलेखों में नामान्तरण एवं हस्तान्तरण कराना सुनिश्चित करेंगे।

दिनांकः– 21.8.2021

ह0/–
(विनीत तोमर)
जिलाधिकारी, चम्पावत।

कार्यालय जिलाधिकारी चम्पावत।

संख्या–5991/सात–व0भू0–हस्तॉ0(ए0एल0आर0ओ0)/2020–21, दिनॉक 26 अगस्त, 2021।

प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव(वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल ।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग , चम्पावत ।
6. उप जिलाधिकारी लोहाघाट।
7. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड(लो0नि0वि0) पी0एम0जी0एस0वाई0 लोहाघाट।
8. तहसीलदार लोहाघाट को मय पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत भूमि का वन विभाग के नाम नियमानुसार भू–अभिलेखों में नामान्तरण कर, हस्तान्तरण करना सुनिश्चित करेंगे।

(गोपाल दत्त पाण्डे)
प्रभारी अधिकारी,
कृते,जिलाधिकारी,